दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-1

§कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख§

वृहस्पतिवार, 08 अप्रैल, 1999/चैत्र 18, 1921§शक§

संख्या-15

अप.2.00 बजे

तारांकित प्रश्न

1. तारांकित प्र.सं. 201 से 207 तथा उनसे पूरक प्रश्न पूछे गये और उनके मौखिक उत्तर दिये गये ।

तारांकित प्र.सं. 208 से 220 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

अतारांकित प्रश्न

2. अतारांकित प्र.सं.411 से 426 के उत्तर सदन पटल पर रखे गये।

3.00 बजे

प्रस्ताव

3. श्री मुकेश शर्मा ने नियम-107 के अंतर्गत निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :-

"कि यह सदन दिल्ली सरकार द्वारा पवित्र ज्योति का स्वागत करने हेतु आयोजित खालसा पंथ के सृजन स्थापना दिवस के ऐतिहासिक त्रि-शताब्दी समारोह का जिसमें श्रीमती सोनिया गांधी ने शिरकत की थी, दूरदर्शन सहित इलैक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सभी निजी चैनलों द्वारा प्रसार भारती बोर्ड होने के बावजूद केन्द्र सरकार के इशारे पर बहिष्कार करने की कड़ी निन्दा करता है और साथ ही साथ समाचार पत्रों द्वारा इस त्रि-शताब्दी समारोह का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की प्रशंसा भी करता है ।

यह सदन यह भी मांग करता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा सही तथ्यों का पता लगाने हेतु जांच कराई जाये ।"

3·23 बजे

सदन में अव्यवस्था

4· जब प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी और श्री मुकेश शर्मा अपना भाषण दे रहे थे, सदस्यों ने एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने शुरू कर दिये, जिसके परिणामस्वरूप सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई । तत्पश्चात्, अध्यक्ष महोदय ने 5 मिनट के लिये सदन को स्थगित कर दिया ।

अप·3·28 बजे

5· सदन के पुनः समवेत होने के बाद श्री मुकेश शर्मा ने प्रस्ताव पर अपना भाषण पूरा किया ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री अरविन्दर सिंह लवली

2· प्रो·जगदीश मुखी

3· श्री भीष्म शर्मा

4· श्री नन्द किशोर गर्ग

3·42 बजे

चर्चा के दौरान, सदस्यों द्वारा एक-दूसरे पर पुनः आरोप लगाये जाने के कारण सदन में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई । सदन में अव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए माननीय अध्यक्ष को सदन को 4·30 अप· बजे तक स्थगित करने के लिये बाध्य होना पड़ा ।

अप·4·30 बजे

सदस्य को इंगित करना

6· जब सदन जलपान अवकाश के बाद पुनः समवेत हुआ तो अध्यक्ष महोदय ने सत्तारूढ़ दल के एक सदस्य (श्री भीष्म शर्मा), जिन्होंने सभा मंडप में आकर एक अन्य सदस्य (श्री हरशरण सिंह बल्ली) का माइक छीन लिया था, के व्यवहार पर असहमति व्यक्त की और उन्हें सदन से बाहर जाने के लिये कहा । अध्यक्ष महोदय ने प्रस्ताव

की विषय वस्तु पर हो रही गरमा-गरमी को मद्देनजर रखते हुए व्यवस्था दी कि वे इस विषय पर किसी को बोलने की अनुमति नहीं देंगे तथा उन्होंने श्री साहब सिंह चौहान को अपना संशोधन प्रस्तुत करने के लिये कहा ।

4·37 अप· 7· श्री साहब सिंह चौहान ने अपना संशोधन प्रस्तुत किया कि प्रस्ताव के अंत में निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाये -

"क्योंकि प्रस्ताव की विषय-वस्तु सदन के क्षेत्राधिकार से बाहर है और नियम-109(9) का उल्लंघन है ।"

संशोधन को मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकार किया गया ।

तत्पश्चात्, श्री मुकेश शर्मा के प्रस्ताव को मतदान के लिये रखा गया और ध्वनिमत से स्वीकार किया गया ।

सदन से बहिर्गमन

4·42 अप·

8· भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने यह कहते हुए कि उन्हें श्री मुकेश शर्मा के प्रस्ताव पर बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया, सदन से बहिर्गमन किसर ।

4·44 अप·

विशेष उल्लेख

9· निम्नलिखित सदस्यों ने नियम 287 के अंतर्गत मामले उठाये-

1· श्री तरविन्दर सिंह मारवाह

2· श्री मोती लाल बोकोलिया

(शिक्षा मंत्री ने मामले में हस्तक्षेप किया)

4·49 अप·

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

10· श्री सुभाष चोपड़ा ने वर्ष 1995 में बिजली के कनेक्शन हेतु प्रत्येक झुग्गी-झोपड़ी निवासी से 320/- रुपये की भारी धनराशि वसूल करने तथा इस एकत्रित राशि को इस्तेमाल न करने और उसे वापस न किये जाने से उत्पन्न स्थिति की ओर शिक्षा तथा ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित किया ।

शिक्षा एवं ऊर्जा मंत्री ने इस संबंध में एक वक्तव्य दिया ।

4·56 अप·

निलम्बन का निरस्तीकरण

11· श्री शोएब इकबाल ने अध्यक्ष महोदय से श्री भीष्म शर्मा के निलम्बन को निरस्त करने का अनुरोध किया । स्वास्थ्य मंत्री, डा·ए·के·वालिया एवं अन्य कई सदस्यों ने भी श्री शोएब इकबाल की बात से सहमत होते हुए अनुरोध को दोहराया और अध्यक्ष महोदय से सदस्य के प्रति दयालुता दिखाने की प्रार्थना की । अध्यक्ष महोदय ने टिप्पणी की कि वे व्यक्तिगत रूप से सदस्य के विरुद्ध नहीं हैं लेकिन सदन में किसी भी दशा में कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होने देंगे। सदस्यों के अनुरोध को मानते हुए उन्होंने अपील की कि इस प्रकार की घटनाओं को रोका जाना चाहिये ।

5·28 अप·

अल्पकालिक चर्चा

12· श्री अजय माकन ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों के पुनर्वास और आवासों की कमी के फलस्वरूप तेजी से बढ़ रही अनधिकृत कालोनियों और उनके कारण उत्पन्न समस्याओं के संबंध में अल्पकालिक चर्चा प्रारम्भ की ।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

1· श्री शीश पाल

2· श्रीमती किरण वालिया

3· श्री दीप चन्द बन्धु

4· श्री महाबल मिश्रा

5· श्री जिले सिंह

6· श्री अमरीश गौतम

7· श्री टेक चन्द शर्मा

8· श्री रूप चन्द

607

9· श्री राधेश्याम खन्ना

10· श्री माला राम गंगवाल

11· श्री वीर सिंह

12· श्री ब्रह्म पाल

13· श्री शोएब इकबाल

स्वास्थ्य मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया ।

अप·6·55 बजे

(सदन शुक्रवार, 09 अप्रैल,1999 को अपराह्न 2·00 बजे तक के लिये स्थगित हुआ)

दिल्ली, **एस·के·शर्मा**

08 अप्रैल,1999 **सचिव**

DELHI VIDHAN SABHA

Bulletin Part-I

(Brief Record of Proceedings)

Thursday, April 08, 1999/Chaitra 18, 1921 (Saka)

NO.15

2.00 PM **Starred Questions**

1. Starred Question Nos. 201 to 207 and Supplementaries thereto were orally asked and answered.

Replies to Starred Question Nos. 208 to 220 were laid on the Table of the House.

Unstarred Questions

2. Replies to Unstarred Question Nos. 411 to 426 were laid on the Table of the House.

Motion

3. **Shri Mukesh Sharma moved the following motion under Rule 107:**

"This House strongly condemns the blacking out by the electronic media including Door Darshan and other private channels despite the existence of Prasar Bharti Board at the behest of Central Government, of a grand ceremony organised by Delhi Government to wlecome 'Pavitra Jyot' on the historic occasion of tricentenary celebration of foundation of Khalsa Panth which was attended by Smt. Sonia Gandhi and at the same time appreciates the role of print media for widely publicising this great event.

This House also demands a thorough probe into the entire episode by a High Court Judge".

3.23 PM **Pandemonium in the House**

4. As the motion was under discussion and Shri Mukesh Sharma was making his speech, the members started making allegations and counter allegations resulting in disorderly House. Hon'ble Speaker, therefore, adjourned the House for 5 minutes.

Cont'd.....2

3.28 PM

5. After the House re-assembled, Shri Mukesh Sharma resumed his speech on his motion.

Following members took part in the debate:

1. Shri Arvinder Singh Lovely
2. Prof. Jagdish Mukhi
3. Shri Bhishm Sharma
4. Shri Nand Kishore Garg

3.42 PM

During the course of debate, there prevailed pandemonium in the House again as members flung charges at each other. Seeing the House in disorder, the Chair was constrained to adjourn the House till 4.30 PM.

4.30 PM **Naming of Member**

6. When the House assembled after tea break the Chair expressed disapproval with the conduct of a ruling party member (Shri Bhishm Sharma) who was in the well of the House and had dismantled the mike of another member (Shri H.S. Balli) and asked him to withdraw from the House. The Chair ruled that in iew of the heat generated by the subject matter of the motion, he will not permit any speeches on the subject and asked Shri Sahab Singh Chauhan to move his amendment.

4.37 PM

7. Shri Sahab Singh Chauhan moved his amendment that at the end of the motion, the following words be added:

> "because the subject matter is outside the jurisdiction of the House and is violation of Rule 109 (ix)".

The amendment was put to vote and negatived.

Thereafter the motion moved by Shri Mukesh Sharma was put to vote and adopted by voice vote.

4.42 PM **Walk Out**

8. The BJP Members staged a walk out complaining that they have not been given sufficient opportunity to speak on the motion tabled by Shri Mukesh Sharma.

Cont'd.....3

4.44 PM

Special Mention

9. Following members raised matters under Rule 287:

1. Shri Tarvinder Singh Marwah
2. Shri Moti Lal Bokolia

(Minister of Education intervened in the matter).

4.49 PM

Calling Attention

10. Shri Subhash Chopra called the attention of Minister of Education and Power to the situation arising out of:

> "the charging of a heavy sum of Rs.320/- from each JJ dweller for electric connections in 1995 and non-utilisation of the money for the purpose it was collected and non-refund thereof so far".

Minister of Education and Power made a statement in this regard.

4.56 PM

Revocation of Suspension

11. Shri Shoaib Iqbal urged the Chair to revoke the suspension of Shri Bhishm Sharma. Minister of Health, Dr. A.K. Walia and other members agreeing with Shoiab Iqbal repeated the request and urged the Chair to show kindness to the member . Hon'ble Speaker observed that he was not personally against the member but would not brook any indiscipline in the House from whatsoever quarter. Accepting the Members' request he appealed that recurrence of such incidents should be avoided.

5.28 PM

SHORT DURATION DISCUSSION

11. Shri Ajay Maken raised Short Duration Discussion regarding re-settlement of Jhuggi-jhonpris and housing shortage resulting in rapid growth of unauthorised colonies and problems thereof in Delhi.

Following Members took part in debate :-

1. Sh. Shish Pal
2. Smt. Kiran Walia
3. Sh. Deep Chand Bandhu
4. Sh. Mahabal Mishra
5. Sh. Jile Singh
6. Sh. Amrish Gautam
7. Sh. Tek Chand Sharma
8. Sh. Roop Chand
9. Sh. Radhey Shyam Khanna
10. Sh. Malaram Gangwal
11. Sh. Veer Singh
12. Sh. Brahm Pal
13. Sh. Shoaib Iqbal

Minister of Health replied to the debate.

6.55 P.M.

(The House was adjourned till 14.00 hours on Friday, April 09, 1999)

S.K. SHARMA
SECRETARY

DELHI.
APRIL 08, 1999.